

फरद अहकाम

(नियम 38)

अस अन्तर्गत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

मधूर खां पिता अकबर खां मुजलमान नि. बिहाडा

बनाम

सोहन पिता चन्दा भीणा नि. बिहाडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 52/2022

तारीख हुसम	हुकम या कार्यावली मय हुनिशियल्स अज्ञ	नाबर व तारीख अहकाम की प्रथम की तारीख में जारी हुई
02.03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिमे से बाबत जॉब रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण वर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिमे अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिहाडा प. ह. बिहाडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 300 कुल कित्ता 01 रकबा 2.9808 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पक्षीय अप्रार्थीगण है। जो आगे दिन अपनी भूमि की सही जानकारी नहीं रखने के कारण मौके पर अनावश्यक विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य अपनी सीमाओं को लेकर अनावश्यक विवाद के कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर पत्थरगद्दी कराना चाहता है। अतः पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक को अवलोकन से पत्थरगद्दी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पक्षीसिधान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 श.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बिहाडा प. ह. बिहाडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 300 कुल कित्ता 01 रकबा 2.9808 हैक्टेयर में बसामलात पक्षीसिधान के पत्थरगद्दी करने हेतु भू अभिलेख विशेषक कुराखिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)